प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ:दिनांक: 29-4-2025**

विषय:- जनपद कानपुर नगर में कानपुर-अनवरगंज-रावतपुर रेल मार्ग (पूर्वोत्तर रेलवे) के सम्पार संख्या-02 स्पेशल (जरीब चौकी के निकट) पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु, जी0टी0 रोड पर 04 लेन फ्लाई ओवर तथा घंटाघर रोड पर 02 लेन फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-I/91709/2024/PWD-BMCoGEN/85/2024-BMC, दिनांक 18-12-2024, पत्र संख्या-I/125946/2025/PWD-BMCoGEN/157/2025-BMC, दिनांक 07-03-2025, पत्र संख्या-I/129105/ 2025/PWD-BMCoGEN/167/2025-BMC, दिनांक 17-03-2025, पत्र संख्या-882/कानपुर-अनवरगंज-रावतपुर/जरीब चौकी/सम्पार सं0-02स्पेशल/बीएमसी/24-25, दिनांक 25-03-2025, पत्र संख्या-I/145992/2025/PWD-BMCoGEN/213/2025-BMC, दिनांक 22-04-2025 एवं पत्र संख्या-I/148990/2025/PWD-BMCoGEN/223/2025-BMC, दिनांक 25-04-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी/अधोगामी के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर में कानपुर-अनवरगंज-रावतपुर रेल मार्ग (पूर्वोत्तर रेलवे) के सम्पार संख्या-02 स्पेशल (जरीब चौकी के निकट) पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु, जी0टी0 रोड पर 04 लेन फ्लाई ओवर तथा घंटाघर रोड पर 02 लेन फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 32060.00 लाख (जिसमें रेलवे पोर्शन (मुख्य सेतु) की लागत रू0 5867.41 एवं सेतु अंश आदि की लागत रू0 26192.59 लाख सम्मिलित है) की डिपाजिट वर्क के रूप में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 11221.00 लाख (रूपये एक अरब बारह करोड़ इक्कीस लाख मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-57	अनु0-83	योग
1	कानपुर नगर	जनपद कानपुर नगर में कानपुर-अनवरगंज-रावतपुर रेल मार्ग (पूर्वोत्तर रेलवे) के सम्पार संख्या-02 स्पेशल (जरीब चौकी के निकट) पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु, जी0टी0 रोड पर 04 लेन फ्लाई ओवर तथा घंटाघर रोड पर 02 लेन फ्लाई ओवर के निर्माण का कार्य।	32060.00	8841.03	2379.97	11221.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य मद के लिये है, उसी कार्य मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054 सड़क तथा सेतु- 800 अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(8) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च,2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई,2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य(टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा।

(13) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग के कार्यो की शिफ्टिंग की लागत रू0 860.20 लाख के साथ आर0सी0सी0 ट्रेंच के निर्माण हेतु एकमुश्त रू0 100.00 लाख एवं सम्बन्धित संस्था को रोड़ कटिंग चार्जेज हेतु देय एकमुश्त धनराशि रू0 75.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। विद्युत विभाग के कार्यो की शिफ्टिंग की लागत रू0 707.60 लाख, आर0सी0सी0 ट्रेंच के निर्माण हेतु एकमुश्त रू0 50.00 लाख अनुमन्य की गयी है, जो वास्तविकता के अनुसार देय होगी।

(14) यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत बी0एस0एन0एल0 की टेलीफोन लाइन की शिफ्टिंग की लागत रू0 73.38 लाख में रोड कटिंग चार्जेज रू0 4.60 लाख एवं रेलवे से परमीशन चार्जेज रू0 5.02 लाख सम्मिलित है, जो वास्तविकता के अनुसार देय होगी।

(15) यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत सी0यू0जी0एल0 की गैस पाइप लाइन की शिफ्टिंग की लागत रू0 604.28 लाख में रेलवे क्रासिंग हेतु रू0 26.00 लाख सम्मिलित है, जो वास्तविकता के अनुसार देय होगी।

(16) जल निगम नगरीय द्वारा सीवर लाइन शिफ्टिंग के अन्तर्गत 600 एम0एम0 डाया की 800 मी0 एन0पी0-3 आर0सी0सी0 पाइप लाइन, 900 एम0एम0 डाया की 600 मी0 एन0पी0-3 आर0सी0सी0 पाइप लाइन एवं 1400 एम0एम0 डाया की 1200 मी0 एम0एस0 पाइप लाइन (रू0 74914.76 प्रति र0मी0), 1600 एम0एम0 डाया की 1200 मी0 एम0एम0 पाइप लाइन (रू0 86039.39 प्रति र0मी0) अर्थात कुल 3800.00 मी0 सीवर लाइन की शिफ्टिंग हेतु रू0 3701.41 लाख अनुमन्य किया गया है।

(17) जल निगम नगरीय द्वारा वाटर पाइप लाइन शिफ्टिंग हेतु 100 एम0एम0 डाया से 350 एम0एम0 डाया की कुल 6970.00 र0मी0 पाइप लाइन शिफ्टिंग हेतु रू0 364.88 लाख अनुमन्य की गयी है।

(19) जलकल विभाग, नगर निगम द्वारा 300 एम0एम0 डाया (1000 र0मी0), 450 एम0एम0 डाया (1550 र0मी0) एवं 1100 एम0एम0 डाया (2000 र0मी0) अर्थात कुल 4550.00 र0मी0 सीवर लाइन शिफ्टिंग एवं 100 एम0एम0 डाया (4150 र0मी0), 150 एम0एम0 डाया (750 र0मी0) एवं 250 एम0एम0 डाया (2750 र0मी0) अर्थात कुल 7650.00 र0मी0 वाटर पाइप लाइन की शिफ्टिंग का कार्य हेतु लागत रू0 1909.36 लाख अनुमन्य की गयी है।

(20) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत वन विभाग, हेतु रू0 117.03 लाख एवं कानपुर स्मार्ट सिटी के कार्यो की शिफ्टिंग हेतु रू0 38.69 लाख की लागत का प्रावधान किया गया है।

(21) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विभिन्न प्रकार की यूटिलिटी शिफ्टिंग (कुल लागत रू0 7566.63 लाख) एवं कतिपय कार्य एक ही प्रकार (वाटर सप्लाई/सीवरेज इत्यादि) के होने के कारण सम्भावित डुप्लीकेसी आदि के दृष्टिगत विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाये, जिसमें सभी स्टैकहोल्डर्स सम्मिलित हों। इस समिति के अनुमोदन के उपरान्त तथा सम्बन्धित विभागों के विस्तृत आगणन के आधार पर इसकी देख-रेख में यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य कराये जायें।

(22) प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार की यूटिलिटी शिफ्टिंग, भूमि अध्याप्ति एवं दुकानों का ध्वस्तीकरण प्रस्तावित है। अतः यूटिलिटी से सम्बन्धित समस्त कार्य, भूमि अध्याप्ति एवं भवनों/दुकानों का मुआवजा इत्यादि पूर्ण होने के पश्चात ही सेतु एवं फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये, जिससे टाइम ओवर/कास्ट ओवर रन के कारण प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता न्यून हो सके।

(23) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (3936.415 व0मी0) हेतु लागत रू0 3587.15 लाख एवं भवनों/दुकानों के ध्वस्तीकरण का मुआवजा रू0 2000.00 लाख को यथावत अनुमन्य किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण किया जाये।

(24) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यो हेतु सम्बन्धित विभागों से तकीनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशिको राजकोष में जमा कराया जाये।

(25) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।

(26) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(27) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर०ई०वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(28) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(29) परियोजना का निर्माण कार्य शासनादेश निर्गत होने के पश्चात 24 माह में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन के कारण परियोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता न हो।

(30) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य हेतु विभागीय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी।

(31) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(32) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2024/बी-1-352/दस-2025-231-2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(33) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमद के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022 10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(34) सेन्टेज चार्जेज (प्रशिक्षत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(35) प्रश्नगत आर0यू0बी0 परियोजना को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या-202500003100799 है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रुपये 88,41,03,000 (रूपये अट्ठासी करोड़ इकतालिस लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5054041010517 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रुपये 23,79,97,000 (रूपये तेईस करोड़ उन्यासी लाख सत्तानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या083 लेखा शीर्षक 5054047891900 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-39-X-2025-26-दिनांक: 29-04-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- सम्बन्धित महाप्रबन्धक, रेलवे ।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलक्ट्रेट, लखनऊ।
11. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन
14- राज्य योजना आयोग- 1/2, उ0प्र0 शासन।
15- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
16- लोक निर्माण अनुभाग- 1/9/10/12 एवं 14. उ0प्र0 शासन।
17- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।